

कार्यालय कलेक्टर एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (म0प्र0)

क्रमांक 11 अ-82/17-18/नायकचारसी/10781 बैतूल दिनांक 1.9.2018
प्रति,

संचालक,
जनसम्पर्क संचालनालय,
विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास,
भोपाल ।


विषय:- ग्राम नायकचारसी तहसील बैतूल के भू-अर्जन प्रकरण में
सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का प्रकाशन कराने बाबत ।

-0-

म0प्र0 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 08 के अन्तर्गत चुरनी-मोरनी लघु जलाशय हेतु अर्जन की जाने वाली भूमि के सम्बंध में सामाजिक समाघात रिपोर्ट की छाया प्रति संलग्न है ।

उक्त सामाजिक समाघात रिपोर्ट का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में कराया जाकर प्रकाशन की प्रति इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें ।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार



(शशांक मिश्र)
कलेक्टर एवं

भू-अर्जन अधिकारी बैतूल
बैतूल दिनांक 1-9-2018

पृ0क0 11 अ-82/2017-18/10781
प्रतिलिपि:-

- 1- अनुविभागीय अधिकारी, (रा) बैतूल को अग्रेषित, सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर प्रकाशन कराया जाकर इस कार्यालय को सूचित करे ।
- 2- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 बैतूल को प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।
- 3- प्रभारी अधिकारी नजारत शाखा कलेक्टोरेट बैतूल,
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल, समुचित सरकार की वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु ।
- 5- तहसीलदार बैतूल को प्रकाशनार्थ अग्रेषित ।

संलग्न-उपरोक्तानुसार


कलेक्टर एवं
भू-अर्जन अधिकारी बैतूल

प्ररूप "ख"
(नियम 5 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

- 1- परियोजना का नाम :- चोरनी- मोरनी लघु जलाशय
- 2- लोक प्रयोजन :- सिंचाई हेतु
- 3- स्थल :- चुरनी, मुचगोहान, दीवान चारसी ,
नायक चारसी तहसील बैतूल
- 4- परियोजना का क्षेत्र :- --
- 5- विकल्प जिन पर विचार किया गया :- यह भूमि जलाशय के लिए अति उपयुक्त एवं कम से कम शासकीय व्यय आने तथा लगभग 260 रकबा सिंचित होने के कारण इस जगह का चयन किया गया है।
- 6- परियोजना की पृष्ठ भूमि विकासकर्ता की पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित :- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग कमांक-2 बैतूल
- 7- परियोजना निर्माण के चरण :- प्रथम एवं अंतिम
- 8- परियोजना के प्रभावो को दर्शाने वाले क्षेत्र के नक्शे :- प्रकरण में नक्शा संलग्न है।
- 9- परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि :- 37.535 हे०
- 10- भूमि का मूल्य :- ग्राम नायक चारसी की सिंचित भूमि रू० 6,16,000 एवं असिंचित भूमि 3,08,000 रू० प्रति हे०
- 11- प्रभावित परिवारों की संख्या :- ग्राम नायक चारसी के 21 कृषक
- 12- परिसम्पतियां:- लोक सम्पति भूमि 0.602 भवन निरंक अन्य निजी सम्पति भूमि भूमि 13.916 भवन निरंक अन्य
- 13- विस्थापित होने वाले संभावित परिवारों की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई :- ग्राम नायक चारसी परिवारों की संख्या निरंक
- 14- सामाजिक समाघात
(क) समाघातों का विवरण :- निष्कर्ष में उल्लेखित है।
(ख) समाघातों की संकेतक सूची निरंक
- 15- विकल्प जिन पर विचार किया गया
(क) यदि हां - तो वर्तमान प्रस्ताव को अधिमान्यता क्यों दी गई ? लोक प्रयोजन हेतु निरंक
(ख) यदि नहीं - तो क्यों ?

निष्कर्ष :-

- (1) प्रभावित भूमि के अर्जन से लोक प्रयोजन पूरा होता है।
- (2) प्रभावित भूमि के अर्जन के कोई परिवार विस्थापित नहीं हो रहा है।
- (3) प्रभावित भूमि के अर्जन से जो परिसम्पतियां प्रभावित हो रही है कुओं, ट्यूबवेल, एवं वृक्षों को छोड़कर मुआवजा दिया जा रहा है।
- (4) आवश्यकतानुसार भूमि का ही अर्जन किया जा रहा है।
- (5) इस परियोजना के लिए शासकीय सभी मापदण्डों के अनुसार यही भूमि अर्जन हेतु उपयुक्त पाई गई जिसके कारण भूमि अर्जन के प्रस्ताव पेश किए गए हैं।
- (6) जिस भूमि का अर्जन प्रस्तावित किया गया है समग्र खर्च की तुलना में परियोजना से फायदे अधिक है। सभी मापदण्ड के आधार पर अध्ययन किया जाकर परियोजना निर्माण हेतु भूमि का अर्जन उपयुक्त है।


(सदस्य)

अधिवक्ता

दिनांक 25/8/18


(सदस्य)

उपवन मंडलाधिकारी, बैतूल

3-17-18


(सदस्य)

अविअ जलसंसाधन अनुविभागीय अधिकारी (र)


(अध्यक्ष)

अनुविभागीय अधिकारी (र)